प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना
रेल कौशल विकास योजना

आवश्यक सूचनाएँ

ट्रेड– 1. वेल्डर 2. . फिटर

अर्हता– हाई स्कूल पास , उम्र - 18 -35 वर्ष

चयन प्रक्रिया– हाई स्कूल के नम्बरों के प्रतिशत से मेरिट के आधार पर , ट्रेड के विकल्प अनुसार चयन किया जायेगा । CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए सीबीएसई के नियमानुसार 9.5 से गुणा किया जायेगा । मेरिट के आधार पर निर्धारित बैच साइज़ से अधिक अभ्यर्थी चयनित पाए जाने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी । आवेदन निर्धारित प्रोफोर्मा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

अन्य :

1. प्रशिक्षण निःशुल्क है. प्रशिक्षु को अपने रहने , खाने- पीने ,आने- जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
2. इस प्रशिक्षण में धर्म , जाति आदि के आधार पर कोई आरक्षण लागू नहीं होगा |
3. प्रशिक्षु को केवल एक बार प्रशिक्षण करने की अनुमति दी जाएगी ।
4. प्रशिक्षण केवल दिन के समय तीन सप्ताह (100 घंटे) के लिए दिया जायेगा ।
5. प्रशिक्षण में कम से कम 75 % उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
6. चयनित प्रशिक्षुओं को एंट्री पास प्रदान किये जायेंगे ।
7. ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षु को रिटर्नेबिल आधार पर हैलमेट, दस्ताने, फेस शील्ड आदि सुरक्षा हेतु प्रदान किये जायेंगे ।
8. प्रशिक्षण केंद्र में केंद्र के सारे नियम मानने होंगे । प्रशिक्षुओं को पूरी सुरक्षा के साथ प्रशिक्षण देने के पूरे प्रयास केंद्र द्वारा किये जायेंगे । परन्तु अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और किसी दुर्घटना के लिए प्रशिक्षु स्वयं जिम्मेदार होगा ।
9. प्रशिक्षु प्रशिक्षण के दौरान रेलवे प्रॉपर्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा |
10. प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान किसी किस्म का कोई भत्ता देय नही होगा ।
11. अभ्यर्थी के चयनित हो जाने के पश्चात उसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा | (प्रोफॉर्मा संलग्न- **Annexure I)**
12. अभ्यर्थी के चयनित हो जाने के पश्चात उसे 10 रु० के नॉन-ज्यूडीशियल बॉन्ड पेपर पर एक नोटराइज्ड एफीडेविट प्रस्तुत करना होगा | (प्रोफॉर्मा संलग्न- **Annexure II)**
13. लिखित परीक्षा में 55% तथा प्रेक्टिकल परीक्षा में 60% अंक पाने वाला अभ्यार्थी ही पास माना जाएगा |
14. प्रशिक्षण के अंतिम चरण में एक टेस्ट (लिखित तथा प्रयोगात्मक) होगा और सफल पाए जाने वाले प्रशिक्षु को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा ।
15. अभ्यर्थी को अपने साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ लाना होगा तथा इस सम्बन्ध में एम.एच.ए. के जारी किये गए दिशा निर्देशों को पालन करना होगा |